

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 187 / 2020

- 1 डालूराम पुत्र बलराम जाति जाट निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 मोहित पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 पृथ्वीराज पुत्र बलराम जाति जाट निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 नरेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 विनोद कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम


- 1 बलराम पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 इन्द्रा देवी पुत्री बलराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जागिन मुद्ई श्री संजीव सिहाग अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्यायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (क) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 25 एम जे डी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 खाता संख्या 40/40 प.न. 78/189 मु.न. 12 कि.न. 21, 24, 25/1, 25/2 में 0.734 हे.नहरी, 0.025 है. खाला, प.न. 78/190 मु.न. 23 कि.न. 4/1 ता 5/3 में 0.431 हे.नहरी, 0.025 है. खाला, 0.050 है. गै.मु. रासता, प.न. 79/189 मु.न. 13 कि.न. 21, 22 में 0.506 है. नहरी, प.न. 79/190 मु.न. 22 कि.न. 1/1 ता 15/2, 19 ता 22 में 4.277 है.नहरी, 0.176 है. गै.मु. रासता कुल खाता 6.224 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी में से वादी संख्या 1 को 0.24 है., वादी संख्या 2 को 0.885 है. , वादी संख्या 3 को 0.506 है., वादी संख्या 4 को 1.012 है. वादी संख्या 5 को 1.012 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। (ख) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चक 25 एम जे डी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 खाता संख्या 40/40 मे कुल खाता 6.224 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी में से 0.785 है. आराजी एवं चक 25 एम जे डी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 खाता संख्या



हवाई सिंह यादव
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

41/41 में दर्ज कुल खाता 9.867 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 0.379 है. आराजी इस प्रकार दोनों खातों की कुल 0.785 है. + 0.379 है - 1.164 है. आराजी की प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसखत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.9.2020 को जारी किया गया।

हवाई
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
साबुलशहर दुलराहर

